PS-HM-EM-MANYTA-ORDER-2019-20

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
उन्नाव।

सेवा में,

प्रबन्धक, माउण्ट लिट्रा जी0 स्कूल
कानपुर लखनऊ हाइवे,गदनखेड़ा,पो0सिंगरौसी,नगरक्षेत्र,उन्नाव।

पत्रांक संख्या/मान्यता/प्राथमिक/ 14563-66 /1-5/ 2019-20 दिनांकः- 24-01-2020

विषयः- शिक्षा सत्र 2019-20 में आवेदित प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 की अंग्रेजी माध्यम नवीन औपबन्धिक अस्थाई मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शिक्षा सत्र 2019-20 में इस कार्यालय में प्रस्तुत प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 की अंग्रेजी माध्यम नवीन अस्थाई मान्यता आवेदन पत्र के प्रति शासनादेश संख्या 89/अरसठ-3-2018-2041/2018 दिनांक 11 जनवरी 2019 में वर्णित अंग्रेजी माध्यम के प्राथमिक स्तर के अशासकीय विद्यालयों की मान्यता हेतु जनपद स्तर पर प्राविधानित जनपदीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 24 जनवरी 2020 में लिये गयें निर्णयानुसार माउण्ट लिट्रा जी0 स्कूल, कानपुर लखनऊ हाइवे,गदनखेड़ा,पो0सिंगरौसी,नगरक्षेत्र,जनपद उन्नाव को कक्षा 1 से 5 तक अंग्रेजी माध्यम की नवीन अस्थाई औपबन्धिक मान्यता प्रथमतः एक वर्ष के लिए शासनादेश संख्या 89/अरसठ-3-2018-2041/2018 दिनांक 11 जनवरी 2019 में निहित प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुये निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।

1. विद्यालय संचालनकर्ता सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत एवं निर्धारित समय पर नवीनीकृत होना अनिवार्य होगा।
2. विद्यालय किसी भी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह अथवा एसोसियेशन को लाभ पहुँचाने के लिये संचालित नहीं किया जायेगा।
3. विद्यालय का संचालन सुचारू रूप से किये जाने हेतु प्रबन्धाधिकरण द्वारा पर्याप्त वित्तीय संसाधन विद्यालय में उपलब्ध कराये जायेंगे तथा जिन विषयों में अध्यापन के लिए विद्यालय को मान्यता प्रदान की जा रही है उनके लिये बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी।
4. बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों से भिन्न पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा दी जायेगी और न ही पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा। अमान्य पुस्तकों का प्रयोग किसी ... में नहीं किया जायेगा। छात्र-छात्राओं का कक्षावार एवं विषयवार अधिगम स्तर एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार बनाये रखना अनिवार्य होगा।
5. विद्यालय में राष्ट्रीय गीतों एवं राष्ट्रगान के गायन की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। भारत के संविधान में प्राविधानित राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय ध्वज व सर्वधर्म समभाव तथा मानवीय मूल्यों की सम्प्राप्ति के लिये प्राविधानित नीतियों तथा समय समय पर निर्गत शासन के आदेशों तथा विभागीय आदेशों तथा मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
6. विद्यालय भवन/परिसर को किसी भी दशा में व्यवसायिक एवं आवासीय उद्देश्यों के लिये दिन व रात में प्रयोग नहीं किया जायेगा परन्तु विद्यालय की सुरक्षा से संबंधित कर्मियों के आवास हेतु छूट रहेगी। विद्यालय भवन परिसर या मैदान को किसी राजनीतिक या गैर शैक्षिक कियाकलापों के प्रयोग में नहीं लिया जायेगा।
7. विद्यालय भवन के अग्रभाग पर विद्यालय का नाम, मान्यता का वर्ष, विद्यालय कोड एवं मान्यता प्रदान करने वाले संस्था/निकाय का प्रतीक चिन्ह/लोगो एवं नाम सुस्पष्ट रूप से अंकित किया जाना अनिवार्य है। अधिकतम् दो वर्ष में विद्यालय भवन का रंग-रोगन अनिवार्य रूप से कराया जायेगा।
8. विद्यालय का निरीक्षण किसी सरकारी अधिकारी अथवा स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा। खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उनसे उच्च स्तर के शिक्षा विभाग के अधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के जनपदीय/मण्डलीय/राज्य स्तरीय अधिकारी अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा विद्यालय से सूचनायें एवं आख्या मॉगे जाने पर निर्देशानुसार प्रस्तुत करना तथा निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
9. विद्यालय प्रबन्ध समिति को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-12(1)(सी.) के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के बच्चों को प्रवेश लिया जायेगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-19 एवं अनुसूची में विहित स्तर एवं मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।
10. शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी रखा जायेगा तथा अंकों के अर्न्तराष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जायेगा। हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ायी जायेगी।
11. कक्षा 01 से 05 के अतिरिक्त अन्य अमान्य कक्षायें संचालित नही की जायेंगी। विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चों को प्रवेश लिया जाना अनिवार्य होगा।
12. विद्यालय सोसाइटी का आवश्यकतानुसार उपयुक्त निजी भवन होना एवं विद्यालय का मानचित्र संगत प्राधिकारी से स्वीकृत होना अनिवार्य होगा। नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 में प्राविधानित सुरक्षा उपायों/मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा विद्यालय भवन के लिये सहायक अभियन्ता द्वारा निर्गत भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
13. विद्यालय भवन की सुरक्षा एवं रख-रखाव का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धतंत्र का होगा। विद्यालय भवन की छत एवं दीवारों के निर्माण में पूर्ण मजबूती, धूप एवं ठंड से बचाव की पर्याप्त व्यवस्था तथा कक्षा-कक्षों का हवादार एवं रोशनीयुक्त होना अनिवार्य है। दिव्यांग बच्चों की विद्यालय में सुगम पहुँच हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अद्यतन शासनादेशों एवं निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।
14. विद्यालय में अग्निशमन यंत्र मानक के अनुसार स्थापित कराया जाना होगा, अग्निशमन यंत्रों के संचालन का प्रशिक्षण स्टाफ को प्रत्येक वर्ष कराया जाना तथा ज्वलनशील/हानिकारक पदार्थों को बच्चों की पहुँच से दूर समुचित सुरक्षायुक्त कक्ष में रखने की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
15. विद्यालय के प्रत्येक कक्षा में प्रति छात्र 09 वर्गफीट की दर से स्थान उपलब्ध होना चाहिए, परन्तु कक्षा-कक्ष का क्षेत्रफल 180 वर्गफीट (कम से कम 20 बच्चों के बैठने की व्यवस्था) होना अनिवार्य है। विद्यालय में उतने ही छात्र-छात्राओं को प्रवेश लिया जायेगा, जिनके बैठने की समुचित व्यवस्था निर्धारित मानक के अनुसार उपलब्ध हो। विद्यालय परिसर में या विद्यालय के समीप खेलकूद के लिये पर्याप्त क्रीडा स्थल उपलब्ध होना चाहिए।
16. शिक्षण कक्षों के अतिरिक्त, प्रधान अध्यापक कक्ष, कार्यालय, स्टाफ कक्ष, पुस्तकालय/वाचनालय, छात्र-छात्राओं एवं अध्यापक-अध्यापिकाओं के लिये पृथक-पृथक शौचालय-मूत्रालय एवं हाथ साफ करने के लिए समुचित व्यवस्था तथा पीने हेतु जीवाणु रहित स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था होना अनिवार्य है।
17. कक्षा स्तर के अनुरूप छात्रोंपयोगी विभिन्न विषयों की पुस्तकें, खेलकूद का सामान, मानचित्र, शैक्षिक चार्ट, विज्ञान सामग्री, भौगोलिक नक्शे, ग्लोब, विषय से सम्बन्धित चार्ट, सामान्य ज्ञान, शिक्षाप्रद पुस्तकें तथा पत्र-पत्रिकाओं की उपलब्धता अनिवार्य है। दृश्य एवं श्रव्य उपकरण आदि की व्यवस्था अपने आर्थिक संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये कर सकते हैं।
18. विद्यालय में संचालित प्रत्येक कक्षा के लिये उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित एवं प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित निर्देशों के अनुरूप निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के अनुसार न्यूनतम शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हतायुक्त शिक्षक-शिक्षिकाओं की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता उ0प्र0बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली-1981 (अद्यतन संशोधित) के अनुसार होगी। विद्यालय के शिक्षकों/कार्मिकों का वेतन भुगतान प्रबन्धतन्त्र द्वारा निजी स्रोत से किया जायेगा।
19. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना संस्था द्वारा कोई कक्षा अथवा अनुभाग न खोला जायेगा, न ही बन्द किया जायेगा, न समाप्त किया जायेगा, न ही स्थानान्तरित किया जायेगा। इस मान्यता आदेश के आधार पर शाखा विद्यालय संचालित करना शासनादेश का उल्लंघन माना जायेगा। विद्यालय स्ववित्त पोषित होगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में अनुदान स्वीकृति हेतु कोई भी दावा मान्य न होगा।
20. विद्यालय द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं महंगाई शुल्क मिलाकर उतना ही मासिक शुल्क लिया जायेगा, जो स्टाफ के वेतन, अनुरक्षण व इससे सम्बन्धित अन्य व्यय के लिए पर्याप्त हो। वार्षिक आय में से वेतन भुगतान के पश्चात शुल्क आय के 20 प्रतिशत से अधिक बचत न हो। शिक्षण शुल्क में कोई भी वृद्धि तीन वर्ष तक नहीं की जायेगी तथा समयोपरान्त शुल्क में की गयी वृद्धि किसी भी दशा में 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। पंजीकरण शुल्क, भवन शुल्क तथा कैपिटेशन के रूप में कोई भी शुल्क विद्यार्थियों से लेना वर्जित होगा। विद्यालय प्रबन्धन द्वारा वार्षिक आय में बचत का उपयोग विद्यालय के विकास के लिये किया जायेगा।

उपरोक्त उल्लिखित बिन्दुओं का उल्लंघन करने पर मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। एक वर्ष के पश्चात मान्यता से सम्बन्धित नियमों/शर्तो का पुनः परीक्षण एवं आर0टी0ई0 के अनुसार विद्यालय चलते रहने पर एक वर्ष के पश्चात विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

24.1.2020

(प्रदीप कुमार पाण्डेय)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
उन्नाव

पृ0सं0/बेसिक/मान्यता/ /2019-20 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपिः-निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव,उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद,प्रयागराज।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक)षष्ठ मण्डल,लखनऊ।
3. खण्ड शिक्षा अधिकारी,नगरक्षेत्र,उन्नाव।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
उन्नाव

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
उन्नाव।

सेवा में,

प्रबन्धक, माउन्ट लिट्रा जी स्कूल,
कानपुर लखनऊ हाईवे, सिंगरोसी, उन्नाव।

पत्रांक सं0:मान्यता/JHM/ 14538-42 /6-8/2020-21 दिनांक 21-12-2020

विषय– आवेदित 06 से कक्षा 08 तक की अंग्रेजी माध्यम की नवीन अस्थाई मान्यता के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत कक्षा 06 से कक्षा 08 तक की अंग्रेजी माध्यम की नवीन अस्थाई मान्यता हेतु आवेदन के प्रति शासनादेश सं0–89/अरसठ–3–2018–2041/2018 दिनांक 11 जनवरी 2019 शासनादेश सं0–196/अरसठ–3–2020–2041/2018 दिनांक 29 जून 2020, शासनादेश सं0–540/अरसठ–3–2020–2041/2018 दिनांक 02 जुलाई 2020 में वर्णित उच्च प्राथमिक स्तर के अशासकीय विद्यालयों की नवीन मान्यता हेतु निर्धारित मानकों के प्रति मण्डल स्तर पर प्राविधानित मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 28.11.2020 में लिये गये निर्णय के क्रम में माउन्ट लिट्रा जी स्कूल, कानपुर लखनऊ हाईवे, सिंगरोसी, उन्नाव को कक्षा–6 से 8 तक अंग्रेजी माध्यम की अस्थाई मान्यता शासनादेश दिनांक 11.01.2019, 29.06.2020, 02.07.2020 में निहित निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुये **औपबन्धिक मान्यता प्रथमतः एक वर्ष के लिए** निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है। उल्लिखित प्रतिबन्धों का उल्लंघन करने पर मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी। एक वर्ष के पश्चात मान्यता से सम्बन्धित नियमों/शर्तों का पुनः परीक्षण एवं आर0टी0ई0 के अनुसार विद्यालय चलते रहने पर विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने हेतु विचार किया जायेगा।

01. विद्यालय संचालनकर्ता सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत एवं निर्धारित समय पर नवीनीकृत होना अनिवार्य होगा।
02. विद्यालय किसी भी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह अथवा एसोसियेशन को लाभ पहुँचाने के लिये संचालित नहीं किया जायेगा।
03. विद्यालय का संचालन सुचारू रूप से किये जाने हेतु प्रबन्धाधिकरण द्वारा पर्याप्त वित्तीय संसाधन विद्यालय में उपलब्ध कराये जायेंगे तथा जिन विषयों में अध्यापन के लिए विद्यालय को मान्यता प्रदान की जा रही है उनके लिये बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी।
04. बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों से भिन्न पाठ्यकम में न तो शिक्षा दी जायेगी और न ही पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा। अमान्य पुस्तकों का प्रयोग किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। छात्र–छात्राओं का कक्षावार एवं विषयवार अधिगम स्तर एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार बनाये रखना अनिवार्य होगा।
05. विद्यालय में राष्ट्रीय गीतों एवं राष्ट्रगान के गायन की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। भारत के संविधान में प्राविधानित राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय ध्वज व सर्वधर्म समभाव तथा मानवीय मूल्यों की सम्प्राप्ति के लिये प्राविधानित नीतियों तथा समय समय पर निर्गत शासन के आदेशों तथा विभागीय आदेशों तथा मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
06. विद्यालय भवन/परिसर को किसी भी दशा में व्यवसायिक एवं आवासीय उददेश्यों के लिये दिन व रात में प्रयोग नहीं किया जायेगा परन्तु विद्यालय की सुरक्षा से संबंधित कर्मियों के आवास हेतु छूट रहेगी। विद्यालय भवन परिसर या मैदान को किसी राजनीतिक या गैर शैक्षिक कियाकलापों के प्रयोग में नहीं लिया जायेगा।
07. विद्यालय भवन के अग्रभाग पर विद्यालय का नाम, मान्यता का वर्ष, विद्यालय कोड एवं मान्यता प्रदान करने वाले संस्था/निकाय का प्रतीक चिन्ह/लोगो एवं नाम सुस्पष्ट रूप से अंकित किया जाना अनिवार्य है। अधिकतम् दो वर्ष में विद्यालय भवन का रंग–रोगन अनिवार्य रूप से कराया जायेगा।
08. विद्यालय का किसी सरकारी अधिकारी अथवा स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा। खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उनसे उच्च स्तर के शिक्षा विभाग के अधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के जनपदीय/मण्डलीय/राज्य स्तरीय अधिकारी अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा विद्यालय से सूचनायें एवं आख्या मॉगे जाने पर निर्देशानुसार प्रस्तुत करना तथा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
09. विद्यालय प्रबन्ध समिति को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–12(1)(सी.) के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के बच्चों को प्रवेश लिया जायेगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की धारा–19 एवं अनुसूची में विहित स्तर एवं मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।
10. शिक्षण का माध्यम **अंग्रेजी** रखा जायेगा तथा अंकों के अर्न्तराष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जायेगा। हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ायी जायेगी।
11. कक्षा 06 से 08 के अतिरिक्त अन्य अमान्य कक्षायें संचालित नही की जायेंगी। विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चों का प्रवेश लिया जाना अनिवार्य होगा।
12. विद्यालय सोसाइटी का आवश्यकतानुसार उपयुक्त निजी भवन होना अथवा 25 वर्ष लीज पर ली गयी भूमि अथवा भवन होने एवं विद्यालय का मानचित्र संगत प्राधिकारी से स्वीकृत होना अनिवार्य होगा। नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 में प्राविधानित सुरक्षा उपायों/मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा विद्यालय भवन के लिये सहायक अभियन्ता द्वारा निर्गत भवन सुरक्षा प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। विद्यालय भवन के पठन–पाठन हेतु उपयुक्त एवं जर्जर न होने के सम्बन्ध में सक्षम तकनीकी विशेषज्ञों से प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रत्येक दो वर्ष में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा।

13. विद्यालय भवन की सुरक्षा एवं रख–रखाव का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धतंत्र का होगा। विद्यालय भवन की छत एवं दीवारों के निर्माण में पूर्ण मजबूती, धूप एवं ठंड से बचाव की पर्याप्त व्यवस्था तथा कक्षा–कक्षों का हवादार एवं रोशनीयुक्त होना अनिवार्य है। दिव्यांग बच्चों की विद्यालय में सुगम पहुँच हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अद्यतन शासनादेशों एवं निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।
14. विद्यालय में अग्निशमन यंत्र मानक के अनुसार स्थापित एवं कियाशील होना अनिवार्य है, अग्निशमन यंत्रों के संचालन का प्रशिक्षण स्टाफ को प्रत्येक वर्ष कराया जाना तथा ज्वलनशील/हानिकारक पदार्थों को बच्चों की पहुँच से दूर समुचित सुरक्षायुक्त कक्ष में रखने की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
15. विद्यालय के प्रत्येक कक्षा में प्रति छात्र 09 वर्गफीट की दर से स्थान उपलब्ध होना चाहिए, परन्तु कक्षा–कक्ष का क्षेत्रफल 180 वर्गफीट (कम से कम 20 बच्चों के बैठने की व्यवस्था) होना अनिवार्य है। विद्यालय में उतने ही छात्र–छात्राओं को प्रवेश लिया जायेगा, जिनके बैठने की समुचित व्यवस्था निर्धारित मानक के अनुसार उपलब्ध हो। विद्यालय परिसर में या विद्यालय के समीप बच्चों के खेलकूद के लिये पर्याप्त कीड़ा स्थल उपलब्ध होना चाहिए।
16. शिक्षण कक्षों के अतिरिक्त, प्रधान अध्यापक कक्ष, कार्यालय, स्टाफ कक्ष, पुस्तकालय/वाचनालय, छात्र–छात्राओं एवं अध्यापक–अध्यापिकाओं के लिये पृथक–पृथक शौचालय–मूत्रालय एवं हाथ साफ करने के लिए समुचित व्यवस्था तथा पीने हेतु जीवाणु रहित स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था होना अनिवार्य है।
17. कक्षा स्तर के अनुरूप छात्रोंपयोगी विभिन्न विषयों की पुस्तकें, खेलकूद का सामान, मानचित्र, शैक्षिक चार्ट, विज्ञान सामग्री, भौगोलिक नक्शे, ग्लोब, विषय से सम्बन्धित चार्ट, सामान्य ज्ञान, शिक्षाप्रद पुस्तकें तथा पत्र–पत्रिकाओं की उपलब्धता अनिवार्य है। दृश्य एवं श्रव्य उपकरण आदि की व्यवस्था अपने आर्थिक संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये की जायेगी।
18. विद्यालय में संचालित प्रत्येक कक्षा के लिये उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित एवं प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर प्रख्यापित निर्देशों "उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली–2011" के अनुसार न्यूनतम शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हतायुक्त विज्ञान/गणित/भाषा/कार्यानुभव शिक्षक– शिक्षिकाओं की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता उ0प्र0मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जू0हा0स्कूल) (अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियमावली–1978 (यथा संशोधित) के अनुसार होगी। विद्यालय के शिक्षकों/कार्मिकों का वेतन भुगतान प्रबन्धतन्त्र द्वारा निजी स्रोतों से किया जायेगा।
19. जि0बे0शि0अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना संस्था द्वारा कोई कक्षा अथवा अनुभाग न खोला जायेगा, न ही बन्द किया जायेगा, न समाप्त किया जायेगा, न ही स्थानान्तरित किया जायेगा। इस मान्यता आदेश के आधार पर शाखा विद्यालय संचालित करना शासनादेश का उल्लंघन माना जायेगा। विद्यालय स्ववित्त पोषित होगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में अनुदान स्वीकृति हेतु कोई भी दावा मान्य न होगा।
20. विद्यालय द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं महंगाई शुल्क मिलाकर उतना ही मासिक शुल्क लिया जायेगा जो स्टाफ के वेतन, अनुरक्षण व इससे सम्बन्धित अन्य व्यय के लिए पर्याप्त हो। वार्षिक आय में से वेतन भुगतान के पश्चात शुल्क आय के 20 प्रतिशत से अधिक बचत न हो। शिक्षण शुल्क में कोई भी वृद्धि तीन वर्ष तक नहीं की जायेगी तथा समयोपरान्त शुल्क में की गयी वृद्धि किसी भी दशा में 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। पंजीकरण शुल्क, भवन शुल्क तथा कैपिटेशन के रूप में कोई भी शुल्क विद्यार्थियों से लेना वर्जित होगा। विद्यालय प्रबन्धन द्वारा वार्षिक आय में बचत का उपयोग विद्यालय के विकास के लिये किया जायेगा।
21. विद्यालय/संस्था द्वारा प्रतिवर्ष विभाग द्वारा निर्धारित समय–सारणी के अनुसार यू–डायस से सम्बन्धित सूचनायें/आंकडे भरना अनिवार्य होगा।
22. विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों द्वारा अपना फोटोयुक्त पहचान पत्र यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड अथवा वोटर आई0डी0 विभाग को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

भवदीय

21.12.2020

(प्रदीप कुमार पाण्डेय)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
उन्नाव।

पृ0सं0::मान्यता/JHM/ /6–8/2020–21 तददिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01– शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0, निशातगंज, लखनऊ।
02– सचिव, उ0प्र0बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
03– मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) षष्ठ मण्डल, लखनऊ।
04– खण्ड शिक्षा अधिकारी, नवाबगंज, उन्नाव।